अंचल अधिकारी का कार्यालय, बोड़ाम।

आदेश

प्रश्नगत भूमि मौजा– बोड़ाम, खाता सं0–95 प्लॉट सं0–3250 कुल खतियानी रकबा–0.10ए0 भूमि रैयती खाते की भूमि है। गोपाल चन्द्र सारंगी व अन्य द्वारा उक्त भूमि पर सर्वे खतियान के आधार पर दावा किया जा रहा है। गोपाल चन्द्र सांरगी व अन्य खतियानी रैयत किशोरी मोहन सारंगी का वशंज है।

द्वितीय पक्ष तरणी सेन गोप द्वारा भी उक्त भूमि पर दावा किया जा रहा है। उक्त भूमि के आंशिक भाग पर तरणी सेन गोप का दखल कब्जा है, शेष भाग खाली परती है। तरणी सेन गोप द्वारा 1964 के पूर्व का केवाला सं0–535 दिनांक–28.01.1956 की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत किया गया, जिसमें अंकित प्लॉट सं0–1014 दर्ज है जिसके आधार पर श्री तरणी सेन गोप द्वारा उक्त भूमि पर दावा किया जा रहा है। 1964 भू–सर्वे के अंतिम रूप से प्रकाशन के पूर्व प्लॉट नं0–1014 को ही तरणी सेन गोप द्वारा सर्वे प्रकाशन के पश्चात् का प्लॉट नं0–3250 बताया जा रहा है। किन्तु सर्वे प्रकाशन के पश्चात् सर्वे खतियान में तरणी सेन गोप या उनके पूर्वज का नाम दर्ज नही है। बल्कि गोपाल चन्द्र सांरगी व अन्य के पर्वज किशोरी मोहन सांरगी का नाम दर्ज है।

दोनों पक्षों द्वारा मौजा–बोड़ाम, खाता सं0–95 प्लॉट सं0–3250 की भूमि पर दावा किया जा रहा है जो स्वामित्व से संबंधित मामला बनता है। किसी भी भूमि का स्वामित्व निर्धारण अंचल अधिकारी के स्तर से नहीं किया जाता है। उभय पक्ष वाद ग्रस्त भूमि का स्वामित्व निर्धारण के लिए सक्षम न्यायालय के वाद दायर करने हेतु स्वंतत्र है।

24/02/2025

अंचल अधिकारी
बोड़ाम

Digitally signed by RANJIT KUMAR RANJAN
Date: 2025.03.10 11:44:23 +05:30
Location: 192.168.2.4